


दिनांक 30.04.2022 को मण्डलीय समीक्षा बैठक की आख्या
देवीपाटन मण्डल

- जनपद गोण्डा मे ई0सी0आर0पी0 के अन्तर्गत 20 शैय्या वृद्धि हेतु 02 स्थलों सी0एच0सी0, बमनजोत और सी0एच0सी0, करनलगंज में भूमि अभी तक अप्राप्त है। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी, गोण्डा से अपेक्षा की गयी कि उक्त हेतु भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- जनपद बलरामपुर मे ई0सी0आर0पी0 के अन्तर्गत 20 शैय्या वृद्धि हेतु 01 स्थल सी0एच0सी0, शिवपुरा में भूमि अभी तक अप्राप्त है। बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बलरामपुर से अपेक्षा की गयी कि उक्त हेतु भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- जनपद बहराइच मे ई0सी0आर0पी0 के अन्तर्गत 20 शैय्या वृद्धि हेतु 06 स्थलों तथा 42 शैय्या वृद्धि हेतु जिला चिकित्सालय में भूमि अभी तक अप्राप्त है। इसके अतिरिक्त जनपद में प्रस्तावित जनपदीय ड्रगवेयर हाउस हेतु भी भूमि अप्राप्त है। बैठक में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी, बहराइच से अपेक्षा की गयी कि उक्त हेतु भूमि उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- जनपद श्रावस्ती मे ई0सी0आर0पी0 के अन्तर्गत 06 शैय्या वृद्धि हेतु 01 स्थल, 20 शैय्या वृद्धि हेतु 02 स्थलों तथा 42 शैय्या वृद्धि हेतु जिला संयुक्त चिकित्सालय, भिगां में भूमि अभी तक अप्राप्त है। इसके अतिरिक्त जनपद में प्रस्तावित जनपदीय ड्रगवेयर हाउस हेतु भी भूमि अप्राप्त है।

इसके अतिरिक्त चारों जनपदों के मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपेक्षा की गयी कि ई0सी0आर0पी0 के अन्तर्गत 06 शैय्या वृद्धि/20 शैय्या वृद्धि हेतु यदि उक्त स्थानों पर भूमि उपलब्ध न हो तो जनपद की किसी अन्य पी0एच0सी0 अथवा सी0एच0सी0 पर भूमि उपलब्ध कराये। इसके पश्चात् भी यदि भूमि उपलब्ध न हो रही हो तो इसकी सूचना मिशन कार्यालय को प्रेषित करें, जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।


(रिहुल प्रकाश)
अवर अभियन्ता


(आशुतोष मिश्रा)
कार्यवाहक अधिशासी अभियन्ता